20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(1)

(36)

निग – 1883 – II – 16

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

नारायण पुत्र खेमचंद कुशवाह, निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा मुख्त्यारआम सुनील कुमार कुशवाह पुत्र श्री नारायण कुशवाह, निवासी वार्ड न. 12 तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
--आवेदक

दिनांक 8.6.16 को श्री विनोद भार्गव का० द्वारा प्रस्तुत

8.6.16

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर अनूपपुर (म.प्र) ---अनावेदक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा की जारी अधिकारित रहित कार्यवाही एवं जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12/04/2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 8-6-16

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, आवेदक ग्राम परसवार का निवासी है। आवेदक द्वारा ग्राम सकरिया में अपने भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य में भूमि धारित है। ग्राम परसवार स्वयं ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत जैतहरी तहसील व जिला अनूपपुर में आता है।

2. यहकि, आवेदक द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 779/5/1 का अंतरण किया गया है। जिसके विषय में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 172 एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961की धारा 339क उलंघन मानते हुये धारा 339ग, 339ड़ एवं 339घ के अधीन कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यवाही संस्थित कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है जो अधिकारिता रहित होने से समस्त कार्यवाही एवं कारण बताओ सूचना पत्र अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, आवेदक की भूमि एवं ग्राम परसवार नगर पालिका सीमा के अंतर्गत न होकर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन आता है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालयो को म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961

R-1883-II/16 अनूपपुर
R. 1883-II/16 अनूपपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 9-7-18 | आवेदक अभि० श्री विनोद भार्गव उप० अना० शासन उप० रिकार्ड मंगाया जावे। पे– 10-8-18 आ०स० [illegible] | 10-8-18 [illegible] |
| 10-8-18 | आवेदक अभि० श्री विनोद भार्गव व अना० शासन उप० रिकार्ड मंगाया जावे। पे– 3-10-18 आ०स० [illegible] | 3-10-18 [illegible] |
| 3-10-18 | आवेदक अभि. श्री विनोद भार्गव अनु. । अना. शासन । रिकार्ड मंगाया जावे। Cf- 30-10-18 आ०स० [illegible] पुनः आवेदन पत्र पेश किया गया। आवेदन पत्र पर तर्क हेतु। Cf-30-10-18 आ०स० [illegible] | 30-10-18 [illegible] |
| 30.x.18 | आवेदक नारायण कुशवाह की ओर से अभि. श्री R.D Sharma एवं शासन पक्ष की ओर से श्री योगेश सिंह उपस्थित। आवेदक अभि. अपनी पुनरीक्षण याचिका को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु वापस लेना चाहते हैं, जिस पर शासकीय अभिभाषक को कोई आपत्ति नहीं होने से आवेदक अनुरोध स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। [illegible] 30.x.18 | [illegible] |

शा.मुद्रणा—355—फॉर्मस—3-2-16—30,000 प्रपत्र.